2/06/18

पत्रावली मूल वाद कर्ता द्वारा डिक्री का पालन
किये पर प्रस्तुत हुई। चूंकि मूल वाद
प्रतिवादीगण द्वारा डिक्री का पालना कर
चुका है इसलिये आवेदन प्रार्थना स्वीकार
योग्य नहीं है लिहाजा खारिज योग्य
है अतः आवेदन प्रार्थना खारिज किया
जाकर है निस्तारण फैसला सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

पक्षकार

Scanned by CamScanner